कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. डी.डी. नगर भिण्ड रोड़ ग्वालियर (म.प्र.)

ई-मेल : piugwalior@gmail.com

कमांक/851 / तरात. / यो आई यू आ. वनमण्डलाधिकारी.

दिनांक 7 05 2023

सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

विषय—ग्वालियर जिले के अन्तर्गत 220 के.व्ही. उपकेन्द्र रामसिया सरकार झांसी रोड, ग्वालियर से नवीन 1000 बिस्तर सरकारी अस्पताल में पावर सप्लाई उपलब्ध कराने हेतु 33 के.व्ही. विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 3.000 हेक्टेयर वन भूमि परियाजना यंत्री पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग को उपयोग पर देने बावत।

(Proposal No.-FP/MP/TRANS/143391/2021)

संदर्भ-1-भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक/6-एम. पी.बी 024/2022-बी.एच.ओ. दिनांक 03.03.2023

2-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक/एफ-4/13 / 2022 /10-11/995 दिनांक 06.03.2023

3-आपके कार्यालय का पत्र कमांक/मा.चि. / 23 / 1963 दिनांक 13.03.2023

-000-

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के प्रकरण में अनुरोध है कि ग्वालियर जिले के अन्तर्गत 220 के व्ही. उपकेन्द्र रामसिया सरकार झांसी रोड, ग्वालियर से नवीन 1000 बिस्तर सरकारी अस्पताल में पावर सप्लाई उपलब्ध कराने हेतु 33 के.व्ही. विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 3.000 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना यंत्री पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग को उपयोग पर देने के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र कमांक / 6-एम.पी.बी 024 / 2022-बी.एच.ओ. दिनांक 03.03.2023 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भ-प्रबंध म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/एफ-4/13/2022/10-11/995 दिनांक 06.03.2023 के संलग्न प्राप्त भारत सरकार द्वारा शर्त कमांक (A) 01 से 12 तक एवं (B) 01 से 16 तक अधिरोपित शर्तो का आधार पर सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। उक्त जारी स्वीकृति के अनुसार राशि जमा करने के उपरान्त शर्तवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :--

4) 3	प्रधिरोपि अनुसार A. Coi	न प्राप्त भारत सरकार द्वारा शर्त कमांक (A) 01 से त शर्तो का आधार पर सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की राशि जमा करने के उपरान्त शर्तवार पालन प्रतिवेदन नि nditions which need to be complied prior with handing ove rest Department.	गई है। उक्त जारी स्वीकृति के नेम्नानुसार है :—
(AZ	S. No.	Condition	Reply
231223 231223 231223 231223 231223 231223 231223 231223 231223 231223 231223 23123 23123 2312 23123 2312 23123 23123 2312 2	1 98 98	The cost of compensatory afforestation on the CA land (6.00 ha DFL) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the Doluct authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	उक्त शर्त के पालन में क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि 4584288/- रूपये ई-पोर्टल के माध्यम से व्हाउचर नम्बर-140/4210 / 032022-23/0008 दिनांक 13. 03.2023 को से कैम्पा में जमा की गई है। जमा की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
	2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.00 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated	उक्त शर्त के पालन में नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि 2873340∕-रूपये ई-पोर्टल के माध्यम से व्हाउचर नेम्बर-140∕4210 ⁄ 032022-23/0008 दिनांक 13.

	18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006 FC dated	03.2023 को से कैम्पा में जमा
	03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009, 5-3/2011-FC (Vol-II) dated 06-01-2022.	की गई है। जमा की गई राशि का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।
3 (a)	The user agency in consultation with the state Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line for execution of the said scheme to the state Forest Department.	उक्त शर्त के पालन में औषधीय रोपण की राशि 2137729/- रूपये ई-पोर्टल के माध्यम से व्हाउचर नम्बर-140/4210 / 032022-23/0008 दिनांक 13. 03.2023 को से कैम्पा में जमा की गई है। जमा की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
b	The User Agency will defray the cost of such plantation.	शर्त मान्य है।
с	Cost of the same shall be transferred to CAMPA fund via online/e-portal.	शर्त मान्य है।
4	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	उक्त शर्त के पालन में समस्त राशियों को ई—पोर्टल के माध्यम से कैम्पा जमा कराई गई है।
5	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	उक्त शर्त के पालन में एफ.आर. ए. प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है।
6	NOC from concerned departments (Road, Canal, Railway etc.) shall be provided before Stage-II approval.	उक्त शर्त के पालन में संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर शीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा।
7	The Geo coordinates of towers constructed in forest area shall be provided before State-II approval.	शर्त मान्य है।
8	Towers so erected shall be fenced (Chain link, fencing) by the User Agency.	शर्त मान्य है।
9	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	उक्त शर्त वनविभाग से संबंधित है।
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	उक्त शर्त का शर्तवार पालन प्रतिवेदन ई–पोर्टल पर ऑन

		लाईन अपलोड किया जावेगा।
12	In case the State Forest Department issues working permission, a copy of the same shall be submitted to this office.	

B. Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

S. No.	Condition	Reply
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि का वैधानिक अपरिवर्तित रहेगा। शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था सहमत है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 6.00 ha. degraded forest land at Compartment No. 34, Forest Range-Gwalior, Tehsil & District-Gwalior at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	वन विभाग से संबंधित है।
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त मान्य है।
4	User Agency shall restrict the felling of trees to 1251 numbers/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the requisite felling.	शर्त मान्य है।
5	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest as per Chapter 10 of FCA, 1980 Handbook, 2019.	शर्त मान्य है।
6	The User Agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	शर्त मान्य है।
7	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Conservator of Forest.	शर्त मान्य है।
8	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त मान्य है।

9	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त मान्य है।
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	शर्त मान्य है।
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	N
12	The period of diversion under this approval shall be co- terminus with the period of the project life.	शर्त मान्य है।
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त मान्य है।
14	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.	
15	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (S) and National Green Tribunal Order (S) pertaining to this project, if any, for the time in force, as applicable to the project.	
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	f

उपरोक्त समस्त अधिरोपित शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन मय प्रमाण पत्र सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति एवं कार्य करने की अनुमति देने का कष्ट करें ।

संभागीय परियोजना यंत्री पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग ग्वालियर (म.प्र.)

प्रतिलिपि–

दिनांक

पू० कमांक/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल मध्यप्रदेश की ओर आपके पत्र कमांक/एफ–4/13 / 2022 / 10–11 / 995 दिनांक 06.03.2023 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

4

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य के दौरान भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का आवेदक विभाग द्वारा पालन किया जावेगा। किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया जावेगा। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग परियोजना यंत्री, (वि./यां.) पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग ग्वालियर वचनवद्ध है।

संभागीय परियोजना यंत्री पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग ग्वालियर (म.प्र.)

प्रमाणित किया जाता है कि भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं वनमण्डल कार्यालय द्वारा व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि की नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि की अतिरिक्त मांग की जाती है तो आवेदक विभाग

उक्त जमा करने के लिये वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तित वन भूमि पर खड़े प्रभावित होने वाले 1251 वृक्षों अथवा कम से कम वृक्षों को वन विभाग की देख—रेख में काटा जावेगा।

काटे गये वृक्षों की राशि जमा करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि वन क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाईन वन संरक्षण अधिनियम, 1980, हैण्डबुक 2019 के अध्याय—10 के प्रावधान अनुसार डाली जावेगी। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि ट्रांसमिशन लाईन अपर कन्डेक्टर पर नियमित अन्तराल पर पक्षी विक्षेपक (डिफ्लेक्टर) लगाये जायेगें जिससे पक्षियों को हानि न पहुंचे । उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग के परामर्श द्वारा व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि का आवेदक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर सीमांकित किया जावेगा। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित भूमि के रेखाकन (ले–आउट प्लान) में कोई बदलाव बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं किया जावेगा। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

संभागीय परियोजना यंत्री पी.आई.यू. लोक निमोण विभाग ग्वालियर (म.प्र.)

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य के दौरान वन क्षेत्र में मजदूरों को कोई कैम्प

स्थापित नहीं किया जावेगा। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य के दौरान मजदूरों को ईंधन के रूप में एल. पी.जी. उपलब्ध कराई जावेगी। ताकि वन क्षेत्र एवं आसपास की वन सम्पदा को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण की जाने वाली सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन मार्ग का निर्माण नहीं किया जावेगा। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

संभागीय परियोजना यंत्री पी.आई.यू. लोक निमीण विभाग ग्वालियर (म.प्र.)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक विभाग द्वारा भूमि लीज अवधि या परियोजना अवधि में से जो भी कम हो उसके लिये दी जावे। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

संभागीय परियोजना यंत्री पी.आई.यू. लोक निमोण विभाग ग्वालियर (म.प्र.)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिये नहीं किया जावेगा। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य विभाग को बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं दी जावेगी। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

संभागीय परियोजना यंत्री पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग ग्वालियर (म.प्र.)

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में उल्लेखित नियम, अधिनियम, दिशा निर्देश एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदि को मान्य

किया जावेगा। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।